न्यायालय माननीय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

नि.ग. 3545 - PBR/16

जगदीश पिता बाबूलाल राठौर जाति तेली उम्र 48 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम तीसगांव तह0 व जिला धार ....निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन ....विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम भिडोताखुर्द तहसील व जिला धार की भूमि सर्वे नंबर 382/2 रकबा 0.506 हैक्टर व 382/1 रकबा 0.506 हैक्टर होकर जिस संबंध में विधिक रूप से आज्ञा पूर्व स्वामी की हुई है। यों भी विधि में उक्त आज्ञा की अपील व निगरानी व चेलेंज 180 दिन के अंदर नही है। ऐसी दशा में आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर में ने कोई आज्ञा मेरी पीठ पीछे कोई आज्ञा पुनर्वलोकन बाबद दी है तो वह व्यर्थ है। ऐसी दशा में राजस्व प्रकरण क्रमांक 06/अ-63/2011-12 में की गई कार्यवाही नोटिस व आधार व्यर्थ है। शून्य है विचाराधिकार रहित आज्ञा है। उस पर से नोटिस भी विचाराधिकार रहित है बिना सूचना के बिना हितधारी को बुलाये पुनर्विचार का प्रतिवेदन मंजुरी आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर की व उस पर से नोटिस तहसील का कार्यवाही का प्रारंभ व प्रतिवेदन व मंजुरी और तहसीलदार महोदय धार द्वारा अपने राजस्व प्रकरण क्रमांक 06/अ-63/2011-12 में जो सूचना दिनांक 18.07.2016 व 20.07.2016 व अग्रिम कार्यवाही विचाराधिकार रहित है व्यर्थ है शून्य है। उसे निगरानी में लेकर अपास्ति बाबद यह निगरानी अर्ज निम्न आधारो पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत पेश है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3545–पीबीआर / 2016 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.11.16	आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित । उन्हें समय समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रकरण आवेदकपक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । अध्यक्ष	